न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्याः— 07/2017 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

श्री बंशीलाल पिता रामकरण ब्राह्मण जाति ब्राह्मण निवासी उदलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

....प्रार्थी

बनाम

1. श्री गंगाराम पिता बालुराम शर्मा उम्र वयस्क निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी
2. श्री मांगु पिता खाजु पिनारा निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. श्री देबीलाल पिता बंशीलाल शर्मा निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. श्री नन्दकिशोर पिता रामचन्द्र शर्मा निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
5. श्री छोटू पिता गिरधारी खारोल निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
6. श्री रामप्रसाद पिता छीतर सुथार निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
7. श्री रामपाल पिता रामचन्द्र लुहार निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
8. श्री किशनलाल पिता नाथु खारोल निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
9. श्री समन्दरसिंह पिता समरथसिंह राजपूत निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
10. श्री भंवरसिंह पिता गिरवरसिंह राजपूत निवासी उदलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

—::आदेश::— दिनांकः —11/02/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 09.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम उदलियास पटवार हल्का उदलियास तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 184 की आराजी संख्या 1139/2 रकबा 03 बीघा , आराजी संख्या 1140 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा, खाता संख्या 183 की आराजी संख्या 320 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, आराजी संख्या 321 रकबा 02 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें/संयुक्त खातें की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणें को सम्मन जारी कियें गयें। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लियें गयें । विपक्षीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नही करायें जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत्त कियें जातें हैं एवं संबधित भू. अ. निरीक्षक कोटड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें ।

—::आदेश::—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके वाके ग्राम उदलियास पटवार हल्का उदलियास तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 184 की आराजी संख्या 1139/2 रकबा 03 बीघा , आराजी संख्या 1140 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा, खाता संख्या 183 की आराजी संख्या 320 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, आराजी संख्या 321 रकबा 02 बिस्वा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें । प्रार्थी इस कार्य के लियें कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 700/—रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भू.अ. निरिक्षक को जमा करायेगा । खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :—तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी